

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद पत्र सं0 : 16 सन 2017

अनवान :-

1. अजीज पुत्र लाभू खां जाति मुसलमान भाटी निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. आमीन पुत्र लाभू खां जाति मुसलमान भाटी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
2. राधेश्याम पुत्र रामनिवास जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. चन्दभान 4 तुलछाराम पि0 मोमनराम जाति छिम्पा साकिन बडविराना तहसील नोहर
- 5 बलवन्त सिंह पुत्र गोविन्दराम जाति जाट साकिन भागवा तहसील भादरा
- 6 गुलाबसिंह पुत्र गोविन्दसिंह (फोट)
6/1 कृष्ण कुमार 6/2 राममूर्ति पि0 गुलाबसिंह जाति जाट साकिन भागवा
7. हरिसिंह पुत्र गोविन्दराम जाति जाट (फोट)
7/1 भरतसिंह 7/2 अशोक कुमार पि0 हरीसिंह जाति जाट साकिन भागवा
7/3 नरेन्द्र 7/4 विजय कुमार पि0 रामधन पुत्र हरीसिंह जाति जाट साकिन
भागवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. हवासिंह 9 धनपतसिंह 10 जगदीशसिंह पि0 गोविन्दराम जाति जाट साकिन भागवा
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
- 11 बनवारीलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्रह्मण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
- 12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

दावा खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 88 व 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 08/06/2022

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 2/3 की कुल 126.13 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में वादी का 479 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 605 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 2 के 126 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 3, 4 के 465 हिस्से प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 के 98 हिस्से प्रतिवादी संख्या 11 के 360 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बनाया हुआ है तथा मुश्तरका खाता होने के कारण सीव व लगान का झगडा रहता है वाद भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के सयुक्त खाते में दर्ज रहने से भूमि काश्त की सीमाएं, लगान आदि का आपस में तनाजा रहता है इसलिये वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहती है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा की अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादीया के हक हिस्से की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करने के आदेश फरमावे।

वादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथ शेष प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 जरिये को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 स्वयं या उनका कोई प्लीडर उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई

पेरोकार राज उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बन्ध में जबाब पेश किया की वादीया के हक हिस्से किस्म भूमि के अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के अधार पर वाद का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो को सुना जाकर वाद वादी दिनांक 19.06.2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 2/3 की कुल 126.13 बीघा में वादी व प्रतिवादीगण के जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्सा के अनुसार अच्छी मे से अच्छी माडी में से माडी भूमि के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

तहसीलदार नोहर ने अपने पत्रांक 837 दिनांक 08.03.2022 को न्यायालय के निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की जाकर निवेदन किया की तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसका खाता व लगान अलग अलग करवाना चाहते हैं तथा न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार नोहर ने विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है बल्की तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान अलग अलग दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

अतः तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर सहमति होने के कारण वाद वादी तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 2/3 की कुल 126.13 बीघा भूमि में निम्नप्रकार वादी एव प्रतिवादीगण के पास रहेगी

अजीज उर्फ बजीद पुत्र लाभूखां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान भाटी साकिन मन्दपुरा खातेदार रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 278 की 6.4370हैक बारानी प्रथम , खसरा न0 242/2 की 0.4170हैक बारानी प्रथम , कुल 6.8540हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी।

आमीन पुत्र लाभू खा हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान भाटी साकिन देह खातेदार रहन पीएनबी बैंक मन्दरपुरा के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 1090 की 1.8590हैक बारानी प्रथम , खसरा न0 1091 की 3.1870हैक बारानी प्रथम , खसरा न0 1093 की 1.3280हैक बारानी प्रथम , खसरा न0 231/2 की 0.4810हैक बारानी प्रथम कुल 6.8550हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी।

चन्द्रभान पुत्र मोमन हिस्सा 1/2 जाति छिम्पा साकिन बडबिराना तुलछाराम पुत्र मोमन हिस्सा 1/2 जाति छिम्पा साकिन बडबिराना खातेदार रहन तुलछाराम हिस्सा पीएनबी बैंक मन्दरपुरा के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 231/1 की 5.8800हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी।


उर्मिला देवी पत्नी राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी मन्दरपुरा के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा संख्या 289 की 1.5930हैक भूमि रहेगी।

बनवारीलाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी मन्दपुरा के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 242/1 की 4.5530हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी।

अशोक कुमार पुत्र हरीसिंह हिस्सा 3503/62980 हिस्सा ,जाति जाट साकिन भागवा खातेदार , कृष्ण कुमार पुत्र गुलाबसिंह हिस्सा 5245/62980हिस्सा जाति जाट साकिन भागवा , जगदीशराम पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 10495/62980 हिस्सा जाति जाट साकिन भागवा , खातेदार रहने आईसीआईसी बैंक शाखा भादरा , धनपतसिंह पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 10495/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार , नरेन्द्र कुमार पुत्र रामधन हिस्सा 1750/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार , भरतसिंह पुत्र हरीसिंह हिस्सा 3503/62980जाति जाट साकिन भागवा खातेदार , रामपाल पुत्र सुभाषचन्द्र हिस्सा 5248/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार , रहन पीएनबी बैंक शाखा भादरा , सुशील कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र हिस्सा 5248/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार रहन पीएनबी बैंक शाखा भादरा , राममूर्ति पुत्र गुलाबसिंह हिस्सा 5245/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार ,विजय कुमार पुत्र रामधन 1753/62980 हिस्सा जाति जाट साकिन भागवा हवासिंह पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 10495/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न0 856 की 6.2980हैक बारानी भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 200/-रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाव्ता दाखिल दपतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अन्तिम पर्चा-डिक्री

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

अनवान :-

1. अजीज पुत्र लाभु खां जाति मुसलमान भाटी निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. आमीन पुत्र लाभू खां जाति मुसलमान भाटी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
2. राधेश्याम पुत्र रामनिवास जाति ब्रह्मण्य निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. चन्द्रभान 4 तुलछाराम पि० मोमनराम जाति छिम्पा साकिन बडबिराना तहसील नोहर
5. बलवन्त सिंह पुत्र गोविन्दराम जाति जाट साकिन भागवा तहसील भादरा
6. गुलाबसिंह पुत्र गोविन्दसिंह (फोट)
6/1 कृष्ण कुमार 6/2 राममूर्ति पि० गुलाबसिंह जाति जाट साकिन भागवा
7. हरिसिंह पुत्र गोविन्दराम जाति जाट (फोट)
7/1 भरतसिंह 7/2 अशोक कुमार पि० हरीसिंह जाति जाट साकिन भागवा
7/3 नरेन्द्र 7/4 विजय कुमार पि० रामधन पुत्र हरीसिंह जाति जाट साकिन
भागवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. हवासिंह 9 धनपतसिंह 10 जगदीशसिंह पि० गोविन्दराम जाति जाट साकिन भागवा
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
11. बनवारीलाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्रह्मण्य निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 185 सन 2019 निर्णय दिनांक

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सुश्री श्वेता कोचर आर०ए०एस० उपखण्डाधिकारी, राजस्व नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीया अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 2/3 की कुल 126.13 बीघा भूमि में निम्नप्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के पास रहेगी

अजीज उर्फ बजीद पुत्र लाभूखां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान भाटी साकिन मन्दपुरा खातेदार रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न० 278 की 6.4370हैक बरानी प्रथम , खसरा न० 242/2 की 0.4170हैक बरानी प्रथम , कुल 6.8540हैक बरानी प्रथम भूमि रहेगी।

आमीन पुत्र लाभू खा हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान भाटी साकिन देह खातेदार रहन पीएनबी बैंक मन्दरपुरा के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न० 1090 की 1.8590हैक बरानी प्रथम , खसरा न० 1091 की 3.1870हैक बरानी प्रथम , खसरा न० 1093 की 1.3280हैक बरानी प्रथम , खसरा न० 231/2 की 0.4810हैक बरानी प्रथम कुल 6.8550हैक बरानी प्रथम भूमि रहेगी।

चन्द्रभान पुत्र मोमन हिस्सा 1/2 जाति छिम्पा साकिन बडबिराना तुलछाराम पुत्र मोमन हिस्सा 1/2 जाति छिम्पा साकिन बडबिराना खातेदार रहन तुलछाराम हिस्सा पीएनबी बैंक मन्दरपुरा के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न० 231/1 की 5.8800हैक बरानी प्रथम भूमि रहेगी।

उर्मिला देवी पत्नी राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्रह्मण्य निवासी मन्दरपुरा के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा संख्या 289 की 1.5930हैक भूमि रहेगी।

बनवारीलाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्रह्मण्य निवासी मन्दरपुरा के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न० 242/1 की 4.5530हैक बरानी प्रथम भूमि रहेगी।

अशोक कुमार पुत्र हरीसिंह हिस्सा 3503/62980 हिस्सा ,जाति जाट साकिन भागवा खातेदार , कृष्ण कुमार पुत्र गुलाबसिंह हिस्सा 5245/62980हिस्सा जाति जाट साकिन भागवा , जगदीशराम पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 10495/62980 हिस्सा जाति जाट साकिन भागवा , खातेदार रहने आईसीआईसी बैंक शाखा भादरा , धनपतसिंह पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 10495/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार , नरेन्द्र कुमार पुत्र रामधन हिस्सा 1750/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार , भरतसिंह पुत्र हरीसिंह हिस्सा 3503/62980जाति जाट साकिन भागवा खातेदार , रामपाल पुत्र सुभाषचन्द्र हिस्सा 5248/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार , रहन पीएनबी बैंक शाखा भादरा , सुशील कुमार पुत्र सुभाषचन्द्र हिस्सा 5248/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार रहन पीएनबी बैंक शाखा भादरा , राममूर्ति पुत्र गुलाबसिंह हिस्सा 5245/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार , विजय कुमार पुत्र रामधन 1753/62980 हिस्सा जाति जाट साकिन भागवा हवासिंह पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 10495/62980 जाति जाट साकिन भागवा खातेदार के पास रोही मौजा मन्दरपुरा के खसरा न० 856 की 6.2980हैक बरानी भूमि रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 200/-रूपये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

04/12

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)